# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-459RAAJodhpur2022-284RTA225 Somaram etc Vs Pawan etc

1. सोमाराम पुत्र श्री किशनाराम,
2. पुखराज पुत्र श्री झूमरराम,
3. तिलोकराम पुत्र श्री झुमरराम
4. पप्पूराम पुत्र श्री झुमरराम,
5. श्रीमती सुशीला पुत्री श्री झुमरराम,
6. श्रीमती संतोकदेवी पत्नि श्री झुमरराम,
7. नरसीहराम पुत्र श्री मगाराम
8. भंवरलाल पुत्र श्री मगाराम,
9. खेताराम उर्फ सीताराम,
10. प्रेमाराम पुत्र श्री मगाराम,
11. केवलराम पुत्र श्री मगाराम,
12. सुखीदेवी पत्नि श्री मगाराम,
13. माणकराम पुत्र श्री गणपतलाल,
14. पेम्फाराम पुत्र श्री गणपतलाल,
15. रुकमादेवी पत्नि गणपतलाल,
16. चम्पादेवी पत्नि श्री पुखराज
17. संतुदेवी पत्नि श्री तिलोकराम

समस्त जातियान् माली निवासीयान्- देयरीया बेरा, मथानिया द्वितीय तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

**ब**

**ना**

**म**

1. पवन पुत्र श्री भंवरलाल
2. जगदीश पुत्र श्री पेमाराम
3. सुखाराम पुत्र श्री पेमाराम
4. माधाराम पुत्र श्री रामसुख
5. पाबुराम पुत्र श्री राणाराम

   समस्त जातियान्- चंदरिया बेरा, मथानिया द्वितीय तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
6. आसुराम पुत्र श्री किशनाराम फौत के कायम मुकामः -
   6.1. श्रीमती तारादेवी पत्नी स्व. आसुराम
   6.2. गिरधारी पुत्र स्व. आसुराम
   6.3. भीखाराम पुत्र स्व. श्री आसुराम
   6.4. रमेश पुत्र स्व. श्री आसुराम

   समस्त जातियान्- चंदरिया बेरा, मथानिया द्वितीय तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7. श्रीमान् तहसीलदार, तिवंरी जिला जोधपुर।

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर औसियां दिनांक 24 अगस्त 2022 प्रकरण संख्या 791/2020 पवन व अन्य बनाम आसुराम इत्यादि**

---

**उपस्थित-**
श्री दयाराम चाधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 01
श्री सूर्यप्रकाश पंवार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 6/1 से 6/5
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 07

# नि र्ण य

**दिनांक : 13 जुलाई, 2023**

अपीलाण्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 791/2020 में पारित आदेश दिनांक 24 अगस्त 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स संख्या एक से पांच/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि तहसील औसियां वर्तमान तिवंरी के ग्राम मथानिया द्वितीय जिला जोधपुर की सरहद में स्थित खसरा नं. 869 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण पवन, जगदीश, सुखाराम, माधाराम, व पाबुराम के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है, जिसमें खसरा नं. 867 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन बैरा व खसरा नं. 668 रकबा 01 बिस्वा गैर मुमकिन सारण की भूमि आई हुई है, जिसमें प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स की रहवासीय ढाणियां, मकान आदि बने हुए है, प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स की खसरा की भूमि के उत्तर दिशा की तरफ चिपती भूमि खसरा नं. 861 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण/अपीलांट के नाम की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा आई हुई है, जिसके अंदर से जोधपुर फलोदी स्टेट हाईवे संख्या 61 मथानिया बाईपास रोड निकलती है, अप्रार्थीगण/अपीलांट के खातेदारी भूमि की चालू जमाबंदी की नकल पेश है। अप्रार्थीगण/अपीलांट के मूल खसरा नं. 861 की दक्षिणी सीमा पर एक कदीमी रास्ता चला आ रहा है जो उक्त हाईवे से मिलता है। अप्रार्थीगण/अपीलांट ने सन् 2008 में आपसी सहमति से उक्त भूमि का विभाजन किया जिसमें उक्त कदीमी रास्ते की भूमि को बंटवाड़ा पत्र में रास्ते के प्रयोजन हेतु छोड़ रखी है तथा केसरिया रंग से दर्शाई हुई है, जिसके बंटवाड़ा पत्र में खसरा नं. 861/7 रकबा 9 बिस्वा अंकित है। उक्त भूमि को काफी वर्षो से रास्ते के उपयोग में ली जाती है। इसके अलावा अन्य कोई निकटतम व लघुतम रास्ता नही है। कुछ वर्ष पहले ग्राम मथानिया बाईपास रोड़ बनी थी जो अप्रार्थीगण/अपीलांट के खसरा नं. 861 की भूमि में सें होती हुई चलती है, प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट स्टेट हाईवे रोड से अपनी खातेदाती भूमि अप्रार्थीगण/अपीलांट की भूमि से चल रहे कदीमी रास्ते से आते जाते है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में आने-जाने में आना-कानी व बाधा उत्पन्न कर रहे है और उसे बंद करना चाहते है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने अप्रार्थीगण/अपीलांट को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने के लिये कहा किंतु रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ, इसलिए प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट न्यायालय हाजा में उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट का उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश पारित हुआ, परन्तु अपीलांट/अप्रार्थीगण को कभी भी न्यायालय द्वारा जारी सम्मन नोटिस, प्राप्त नही हुआ, फिर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2019 को आदेश पारित किया कि प्रार्थीगण वकील पुनः नोटिस पेश करे अप्रार्थीगण को पुनः नोटिस भेजकर मिसल तलबी हेतु दिनांक 06.05.2019 को पेश हो जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से साबित है, जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय में न तो प्रार्थीगण द्वारा नोटिस पेश किये गये न ही कभी जारी हुए। दिनांक 29.05.2019 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की गैर मोजूदगी में बिना सम्मन तामील हुए सम्मन तामील मानकर एक पक्षीय कार्यवाही प्रार्थीगण के विरुद्ध अमल में लाई जाने का आदेश पारित हो गया व बाद में बहस सुनी जाकर आदेश दिनांक 24.06.2019 पारित किया गया। जिसके विरुद्ध न्यायालय हाजा में अपील संख्या 118/2020 प्रस्तुत की गई जो स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.06.2019 को अपास्त कर मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2022 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलोच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय हाजा के निर्देशों की पालना की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा तलब मौका रिपोर्ट भी अपीलांट्स की अनुपस्थिति में मनमर्जी से बनायी गई है। अपीलांट्स के खसरे में अपीलांट्स ने अपने सह-खातेदारो के साथ आपसी सहमति से अपने परिवार के लिये कटाण रास्ता बनाया, जिसमें प्रार्थीगण अपने प्रवेश हेतु अपने खसरों की भूमि खसरा नं. 687 व 688 से होकर भी कभी उक्त कटाण रास्ते पर नहीं आते थे, प्रार्थीगण अपीलांट्स के रास्ते का कभी उपयोग नहीं करते थे। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में गलत कथनों का उल्लेख किया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये हुए नैर्सगिक न्याय के सिद्धांतो का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है, जिस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 अगस्त 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय प्रतिप्रेषित प्रकरण में लघुतम एवं निकटतम रास्ते के तथ्यों के गहन विवेचन के आधार पर विधिसम्मतः अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे। साथ ही रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स वर्तमान में मौके पर रास्ते का उपयोग करते आ रहे है।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 29.07.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान में खसरा नं. 861/7 में मौके पर कदीमी रास्ता चल रहा है। उक्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अपीलांट्स द्वारा भी अपील स्तर रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ते का विकल्प नहीं बताया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के जरिये निकटतम एवं लघुतम रास्ता प्रदान किये जाने के विचारण न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 791/2020 में पारित आदेश दिनांक 24 अगस्त 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

जोधपुर